भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 6129
दिनांक 01.04.2026 को उत्तर देने के लिए

दमन और दीव में पर्यटन को बढ़ावा देना

6129. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमन और दीव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की कोई रूपरेखा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस हेतु औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का संतुलन रखा गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्थानीय युवाओं के लिए कोई कौशल विकास योजनाएं प्रस्तावित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और

(घ) क्या सरकार द्वारा दमन और दीव को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) नीति आयोग की "भारत में विरासत प्रबंधन में चुनौतियां और नीतिगत अनिवार्यताएं, 2021" रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के विरासत क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि दमन और दीव सहित देश के विशाल भू-भाग में फैले संरक्षित और गैर-संरक्षित निर्मित विरासत और पुरातात्विक धरोहरों की विस्तृत श्रृंखला को कैसे दर्ज किया जाए, दस्तावेजीकरण किया जाए, बचाया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, उनका पुनः उपयोग किया जाए, उनकी व्याख्या की जाए और उन्हें प्रदर्शित किया जाए। इसके अलावा, नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में नीतिगत सुझावों, कार्यनीतिक अनुशंसाओं और अंतर-मंत्रालयी समन्वय के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय का समर्थन किया है। पर्यटन मंत्रालय ने दमन में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने दमन कन्वेंशन सेंटर सहित थीम आधारित पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ₹147.13 करोड़ स्वीकृत किए हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 पर्यटन मंत्रालय की एक संशोधित केंद्रीय योजना है, जो थीम आधारित सर्किट से हटकर सतत और जिम्मेदार पर्यटन के विकास के लिए एक समग्र, गंतव्य-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाती है। इसका उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देकर, रोजगार सृजित करके और पर्यावरण के अनुकूल अवसंरचना परियोजनाओं को प्रोत्साहित करके "आत्मनिर्भर भारत" का निर्माण करना है।

(ख) दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यावरण की दृष्टि से सतत औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लक्षित अंतःक्षेप और नियामक ढाँचे लागू किए हैं।

एमएसएमई प्रदर्शन संवर्धन एवं त्वरण (आरएएमपी) कार्यक्रम के अंतर्गत दो प्रमुख पहलें कार्यान्वित की जा रही हैं: (i) हरित प्रथाएँ एवं पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) जागरूकता योजना, जिसके अंतर्गत 1,200 एमएसएमई को शामिल करते हुए 24 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिन पर ₹0.24 करोड़ का वित्तीय व्यय किया गया। इनका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और ईएसजी अनुपालन को बढ़ावा देना है; और (ii) ऊर्जा एवं जल लेखापरीक्षा प्रतिपूर्ति योजना, जिसके अंतर्गत ऊर्जा और जल लेखापरीक्षा के लिए प्रति उद्यम ₹1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 300 एमएसएमई को ऊर्जा लेखापरीक्षा और 100 एमएसएमई को जल लेखापरीक्षा के लिए लक्षित किया गया है, जिसका कुल बजट ₹4.00 करोड़ है।

इसके अतिरिक्त, अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रित जल गुणवत्ता मानक, अनिवार्य ग्रे-वॉटर पुनः उपयोग प्रणाली, अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा आवधिक परीक्षण, भूखंड के आकार से संबंधित वृक्षारोपण मानदंड और रूफटॉप सोलर और सोलर वॉटर हीटर जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों को अनिवार्य रूप से

अपनाने से संबंधित वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को लागू किया जाता है। प्रवर्तन तंत्र में सशर्त निर्वहन अनुमतियाँ, उल्लंघन के मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवाद समाधान भी शामिल हैं।

(ग) दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के स्थानीय युवाओं और कारीगरों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और संस्थागत क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय कौशल विकास योजनाओं और उद्योग-संबंधित पहलों के संयोजन के माध्यम से इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रमुख उपायों में सरकारी आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना, ड्रोन तकनीशियन प्रशिक्षण जैसे अल्पकालिक पाठ्यक्रम, एआई और ड्रोन प्रयोगशालाओं का निर्माण और दमन में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) की स्थापना शामिल है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों के निवासियों के लिए 20% सीटें आरक्षित हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के तहत, पिछले तीन वर्षों में 2013 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ, जिनमें से 1708 को प्रशिक्षित किया गया और 1316 को स्वास्थ्य सेवा, आईटी-आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया एवं मनोरंजन, इंस्ट्रूमेंटेशन, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य और परिधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

(घ) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने दमन-दीव को उच्च प्राथमिकता वाला पर्यटन स्थल घोषित किया है और विश्व स्तरीय अवसंरचना निर्माण, विविध पर्यटन पेशकशों और कार्यनीतिक आउटसोर्सिंग के माध्यम से समग्र पर्यटन विकास को आगे बढ़ा रहा है।

प्रमुख पहलों में रामसेतु समुद्र तट (मोती दमन) और नमो पथ समुद्र तट (नानी दमन) का अंतरराष्ट्रीय मानक सैरगाहों, साइकिलिंग ट्रैक, रात्रि बाजारों, जल क्रीड़ा सुविधाओं और आलीशान टेंट सिटी के साथ विकास शामिल है। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत दमन में एक कन्वेंशन सेंटर विकसित किया जा रहा है ताकि बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां (एमआईसीई) पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, जो व्यावसायिक पर्यटन का एक विशेष क्षेत्र है जिसमें पेशेवर कार्यक्रमों, नेटवर्किंग और कॉर्पोरेट प्रोत्साहनों के लिए यात्रा करने वाले बड़े समूह शामिल होते हैं। दमन गंगा नदी पर एक प्रतिष्ठित कनेक्टिंग ब्रिज की योजना बनाई जा रही है जो प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे आवागमन और प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, ताज समूह के माध्यम से दीव में पांच सितारा होटलों के संचालन द्वारा आलीशान आतिथ्य अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है।

इन पहलों का उद्देश्य दमन-दीव को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक प्रतिस्पर्धी, उच्च मूल्य वाले गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।
